

12-12-2023-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी अनुपस्थित।
वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज
लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी
व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम
हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़